राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्याः- 4741/2022

गजेन्द्र कुमार सैनी

-अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

-प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.09.2022
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर सेः श्री विरेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर सेः श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता।

समक्षः- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस प्रकरण में प्रार्थिया विजय लक्ष्मी की ओर से पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र सुना गया। निजी प्रत्यर्थीया का उसी स्थान पर स्थानांतरण हुआ था, जिस स्थान पर अपीलार्थी कार्यरत है। ऐसे में प्रार्थीया आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रत्यर्थीया के रूप में पक्षकार जोड़ा जाता है। मूल अपील में लाल स्याही से प्रत्यर्थी संख्या-5 के रूप में प्रार्थीया का नाम अंकित किया जाता है।
2. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.09.2022 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी, जो कि नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, उनका स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीगी, टोंक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालपुरा, टोंक किया गया है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह तथ्य अकिंत किये हैं कि पूर्व में आदेश दिनांक 12.08.2022 के द्वारा अन्य व्यक्ति का स्थानांतरण अपीलार्थी के पद पर कर दिया गया था और अपीलार्थी का स्थानांतरण नहीं किया गया था। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 17.08.2022 को कार्यमुक्त कर

दिया गया था। जिससे अपीलार्थी ने अपील संख्या 3285/2022 के जरिये अधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी। अधिकरण ने आदेश दिनांक 06-09-2022 के द्वारा उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया था और कार्यमुक्ति आदेश को स्थगित किया था। उक्त अपील लम्बित रहने के दौरान आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण कर दिया गया है। इस अधिकरण द्वारा दिनांक 09.11.2022 को अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.09.2022 की क्रियान्विति को स्थगित किया था। अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी की ओर से इस अपील में यह आपत्ति भी की गई है कि अपील संख्या 3285/2022 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 06.09.2022 प्रभावशील है एवं उक्त अपील लंबित है।

3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि इस प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किये जाने से पूर्व दिनांक 03.11.2022 को अपील संख्या 3285/2022 निस्तारित हो चुकी थी और अपीलार्थी की अपील खारिज हो चुकी थी। अपीलार्थी ने सही तथ्य इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये और इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश दिनांक 09.11.2022 गलत तथ्यों के आधारों की उक्त अपील लंबित है और स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावशील है, के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया था।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।

5. इस प्रकरण में अपीलार्थी इस अधिकरण में स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं है और गलत तथ्यों के आधार पर अंतरिम आदेश पारित हुआ है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 3285/2022 इस अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.11.2022 पारित किये जाने के पूर्व ही दिनांक 03.11.2022 को खारिज हो चुका था एवं यह तथ्य दिनांक 09.11.2022 को अधिकरण के समक्ष नहीं रखा गया। गुणावगुण पर विचार करें तो हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी ने जिस आधार पर अपने स्थानांतरण आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है, वो आधार यह है कि उसके पक्ष में पूर्व में प्रस्तुत अपील में स्थगन आदेश पारित है और अपील लंबित है, जबकि उक्त आधार समाप्त हो चुका है। यह भी स्पष्ट है कि

अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 2018 से पदस्थापित है एवं अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक पदस्थापित रखने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।

6. नियोक्ता को यह अधिकार है कि वो अपने विवेक से यह निर्णय ले सके कि वो अपने किस कार्मिक की सेवा किस स्थान पर लेना चाहता है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2022 प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना भी प्रकट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2022 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।
7. परिणामस्वरूप यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.11.2022 निरस्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)